



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2011/कार्तिक 23, 1933

No. 223]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2011/KARTIKA 23, 1933

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 14 नवम्बर, 2011

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी निर्गम विनियम), 2011

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा. विनियम/2/56/2011.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 की 4) के परिच्छेद 6ए तथा 114ए के साथ पठित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (1999 का 41) के परिच्छेद 14 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, प्राधिकरण, एतद् द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- i) इन विनियमों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी निर्गम) विनियम 2011 कहा जाएगा.
- ii) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2) परिभाषाएँ

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक न हो:

- अ) 'अधिनियम' से तात्पर्य बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) से है;
- आ) 'आवेदक कम्पनी' से तात्पर्य भारतीय बीमा कंपनी की परिभाषा के भीतर आने वाली जीवन बीमा कंपनी से है;
- इ) 'प्राधिकरण' से तात्पर्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के परिच्छेद 3 के अंतर्गत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से है;

- ई) 'आवेदन पत्र' से तात्पर्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम 2011 के अंतर्गत प्राधिकरण को प्रेषित आवेदन पत्र से है;
- उ) निगम नियंत्रण दिशा निर्देशों से तात्पर्य प्राधिकरण द्वारा 5 अगस्त 2009 के अपने परिपत्र संख्या आई आर डी ए / एफ एण्ड ए / सीआईआर/025/2009-10 द्वारा जारी तथा समय समय पर यथा संशोधित तथा परिवर्तित दिशा निर्देशों से है;
- ऊ) 'कारोबार के प्रारंभ के दिनांक' से तात्पर्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के दिनांक से है;
- ए) 'अधिक्य शेयर धारिता' से तात्पर्य बीमा अधिनियम के परिच्छेद 6ए के अंतर्गत निर्धारित शेयर धारिता की सीमा के अतिरिक्त शेयर धारिता से है;
- ऐ) 'बीमा कंपनी' से तात्पर्य बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 2(7) 'ए' में यथा परिभाषित 'भारतीय बीमा कंपनी' से है;
- ओ) 'सेबी' से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से है;
- औ) 'आई सी डी आर विनियमों' से तात्पर्य समय समय पर यथासंशोधित और परिवर्तित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 से है;
- अं) 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम 2000 में यथा परिभाषित प्रमुख कार्मिक शामिल होंगे परंतु ये यही तक सीमित नहीं होंगे;
- अ:) 'प्रस्ताव दस्तावेज' से तात्पर्य आई सी डी आर विनियमों के अंतर्गत यथा परिभाषित दस्तावेज से है;
- क) आवेदक कंपनी के 'प्रवर्तक' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिनके पास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण (आर-3) प्रदान करने के समय बीमा कंपनी में इक्विटी शेयर धारिता है। इसमें वह व्यक्ति या वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिसने/जिन्होंने, बीमा अधिनियम, 1938 के परिच्छेद 6ए के प्रावधानों (जिनमें उनके अंतर्गत बनाए गए विनियम परिपत्र तथा स्पष्टीकरण भी शामिल हैं) के अंतर्गत प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन से कंपनी में इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं।

बशर्ते कि जारीकर्ता का कोई वर्तमान अथवा भूतपूर्व निदेशक अथवा भूतपूर्व अधिकारी, जिसने कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के किसी भी स्वरूप के अंतर्गत हिस्सा लिया हो, उसे प्रवर्तक नहीं माना जाएगा

और बशर्ते यह भी कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के प्रयोजन से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आई सी डी आर) विनियम 2009 के अंतर्गत प्रवर्तक की परिभाषा लागू होगी।

- ख) 'प्रस्ताव' से तात्पर्य, प्राधिकरण से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इन विनियमों से सहबद्ध फॉर्म 'ए' के अंतर्गत प्राधिकरण के पास, आवेदक द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पत्र से है।

यहां प्रयुक्त सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ और जो विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, परंतु बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (1999 का 41) में परिभाषित हैं। इनका वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनका बताया गया है।

3. प्राधिकरण द्वारा लिखित पूर्वानुमति:

कोई भी जीवन बीमा कंपनी आई सी डी आर विनियमों के अंतर्गत शेयरों के पब्लिक निर्गम अथवा किसी बाद के निर्गम चाहे इसका कोई भी नाम हो को निर्धारित विधि के अनुसार, प्राधिकरण से विशिष्ट लिखित पूर्वानुमति लिए बिना लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से संपर्क नहीं करेगी।

4. विधि और प्रक्रिया

ये विनियम, अधिनियम 1938 के परिच्छेद 6ए में यथा निर्धारित अनुसार, आवेदनकर्ता कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा, अधिक्य शेयर धारिता को वियुक्त करने, और/अथवा आई सी डी आर विनियमों के अंतर्गत अन्यथा राशियाँ जुटाने तथा साथ ही नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी भी विकल्प के लिए लागू होंगे :

- क) आई सी डी आर विनियमों के अंतर्गत पूँजी निर्गम करने, तथा
 ख) आई सी डी आर विनियमों के अंतर्गत बिक्री हेतु जननिर्गम के माध्यम से एक अथवा एक से अधिक प्रवर्तकों द्वारा इक्विटी को वियुक्त (डाइवैस्टमेंट) करने के द्वारा ।

प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र इन विनियमों के भाग के रूप में लगे फार्म 'ए' में प्रस्तुत किए जाएँगे ।

बशर्ते कि किसी भी बीमा कम्पनी द्वारा पूँजी का निर्गम अथवा आवंटन पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के अलावा अन्य किसी स्वरूप में नहीं होगा ।

इसके अलावा बशर्ते यह भी कि उपयुक्त (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट को छोड़कर जिसमें बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 6ए (4)(ब) (ii)/(i) के अंतर्गत यथा निर्धारित, विनिर्दिष्ट सीमाओं से परे शेयरों का अंतरण भी शामिल है, पूँजी के किसी भी अन्य निर्गम के लिए प्राधिकरण का विशिष्ट पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा । ये अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों से शासित होंगे।

5. प्राधिकरण का अनुमोदन

- i) कोई भी आवेदनकर्ता कंपनी जो इन विनियमों के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से शेयर, पूँजी जुटाने का प्रस्ताव करती है, वह अपने कारोबार के प्रारंभ की तारीख से 10 वर्ष पूरा होने पर अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य अवधि के पूरा होने पर ही ऐसा कर सकती है ।
- ii) प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुमोदन, अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगा और इस अवधि के दौरान ही आवेदनकर्ता कंपनी को, आई सी डी आर विनियमों के अंतर्गत, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के पास, ड्राफ्ट रेड है. रिंग प्रोस्पेक्टस (डी आर एच पी) फाईल करना होगा ।
- iii) इसमें अन्तर्निहित विनियमों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त कोई भी अनुमोदन आवेदनकर्ता कंपनी द्वारा, किसी भी प्रस्ताव दस्तावेज में दिए गए अभ्यावेदनों का किसी भी विधि से वधीकरण नहीं माना या समझा जाएगा और इस तथ्य को बड़े बड़े अक्षरों में प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किया जायेगा ।
- iv) प्राधिकरण के पास, अनुमोदन न करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि उसके विचार में (i) आवेदनकर्ता कंपनी ने विनियामक संरचना का अनुपालन नहीं किया है, अथवा (ii) ऐसे करना पॉलिसी धारकों हितों के लिये नुकसानदायक, अथवा (iii) यह देश में बीमा व्यापार के हित में नहीं है ।

6. अनुमोदन के लिए विचार हेत मानदंड

प्राधिकरण सामान्यतः आवेदनकर्ता कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति, इसके विनियामक, रिकार्ड, पूँजी निर्गम/पेशकश के प्रस्ताव, निर्गम/पेशकश के बाद के पूँजीगत ढांचे तथा वे प्रयोजन जिनके लिए जुटाई जाने वाली प्रस्तावित शेयर पूँजी प्रयुक्त की जाएगी, आदि पर विचार करेगा. विशेषकर प्राधिकरण इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मानकों पर विचार करेगा :

- i) वह अवधि जिससे आवेदक जीवन बीमा कारोबार में है ।
- ii) आवेदनकर्ता, कंपनी का, विनियामक अपेक्षाओं के प्रति अनुपालन का इतिहास ।
- iii) आवेदन पत्र दाखिल करने से तत्काल पहले की तिमाही से प्रारंभ हो कर गत छः तिमाहियों के अंत में निर्धारित विनियामक शोधकम मार्जिन (सोल्वेंसी मार्जिन) का रख रखाव;
- iv) समय-समय पर संशोधित एवं परिवर्तित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के परिवर्तित संख्या आई आर डी ए / एफ एंड आई / सी आई आर/ एफ एंड ए/012/01/2010, दिनांक 28 जनवरी 2010 के अंतर्गत अधिदेशित, प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन;
- v) निगमित नियंत्रण (कार्पोरेट गवर्नेन्स) दिशा निर्देशों का अनुपालन;

- vi) इसके पालिसी धारक संरक्षण का रिकॉर्ड, तथा
- vii) आवेदन कर्ता कंपनी का अधायित मूल्य, यह अधायित मूल्य रिपोर्ट किसी स्वतंत्र बीमांकक विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जायेगी और किसी अन्य स्वतंत्र बीमांकक द्वारा इसकी समीक्षा की जायेगी और इसे भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी बीमांकक व्यवहार मानदंडों द्वारा निर्धारित विधि से तैयार किया जायेगा ।

प्राधिकरण आम तौर पर यह अपेक्षा करता है कि आधारित मूल्य चुकता इक्विटी पूँजी का दुगुना होना चाहिए, (चुकता पूँजी में शेयर प्रीमियम शामिल होगा) ।

7. अनुमोदन के लिए शर्तें

अपना अनुमोदन देते समय प्राधिकरण निम्नलिखित बातें निर्धारित कर सकता है;

- वह सीमा, जिस तक प्रवर्तक क्रमशः अपनी शेयरधारिता क्षीणीकृत कर सकते हैं;
- अधिकतम अभिदान, जो विदेशी निवेशकों की किस भी श्रेणी को आवंटित किया जा सकता है;
- प्रवर्तकों के लिए, शेयरों के आवंटन की तिथि से न्यूनतम अवरुद्धता अवधि (लॉक इन परिरियड)। यह अवरुद्धता अवधि, आई सी डी आर विनियमों के अंतर्गत निर्धारित की गई अपेक्षाओं के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना होगी, तथा
- प्रोस्पेक्टस/प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटन, ये प्रकटन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रकटनों के अतिरिक्त होंगे और इनमें, इन विनियमों के संलग्नक-1 में इंगित प्रकटन भी शामिल हो सकते हैं ।

8. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए समय सीमा

प्राधिकरण, यथासंभव शीघ्रता से, इन आवेदनपत्रों को कार्यान्वित करेगी और अनुमोदन प्रदान करेगी तथा आवेदन कर्ता कंपनी आवेदनों के कार्यन्वयन हेतु, प्राधिकरण द्वारा जानकारी भिजवाने के लिए किए अनुरोधों का तत्परता से प्रत्युत्तर देना सुनिश्चित करेगी ।

फॉर्म ए

अध्यक्ष

बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण

परिश्रम भवन, तीसरी मंजिल,

बशीरबाग, हैदराबाद-500 004.

प्रिय महोदय,

संदर्भ - बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम 2011 के अनुसरण में अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम 2011 के अनुसरण में मैसर्स (पंजीकरण संख्या दिनांक) जिन्होंने परिचालन के वर्ष पूरे कर लिए हैं, एतद् द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 (आईसीडीआर आर विनियम) के अंतर्गत, पूँजी निर्गम के लिए 'प्राधिकरण को आवेदन करते हैं ।

- विनियमों के विनियम 6 के अंतर्गत संदर्भित, विभिन्न पात्रता मानदंडों के विवरण, अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ अनुबंध में रखे गए हैं जिसकी सूची इस प्रकार है:

i)

ii)

iii)

भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी बीमांकक व्यवहार मानदंड द्वारा निर्धारित विहित निर्देशों के अनुपालन में एक स्वतंत्र बीमांकक विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई तथा एक अन्य बीमांकक द्वारा समकक्ष समीक्षित, अधायित मूल्य रिपोर्ट गणना प्रतिवेदन, इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है ।

प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त होने पर (बीमा कंपनी) एक वर्ष के भीतर, आई सी डी आर विनियमों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास प्रस्ताव दस्तावेज दखिल करेगी और उक्त विनियमों के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी ।

भवदीय

मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

(बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)
पदनाम

स्थान:

दिनांक:

आवेदन पत्र का अनुलग्न

1. आवेदन कर्ता कंपनी का नाम :
2. पंजीकरण संख्या और दिनांक :
3. नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख :
4. कारोबार प्रारंभ की तारीख से अब तक के वर्षों की संख्या :
5. गत पाँच वर्षों में, बीमा अधिनियम, 1938 तथा, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, प्रबंधकीय अपेक्षाओं पर व्यय के अनुपालन की स्थिति :

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष (अंतिम प्रथम)	अनुमन्य व्यय (करोड रुपए)	वास्तविक व्यय (करोड रुपए)	अनुपालन स्थिति
1				
2				
3				
4				
5				

6. गत पाँच वर्षों में बीमाकर्ता के निवल लाभ, चुकता पूँजी तथा नेटवर्थ (निवल योग्यता का ब्यौरा) :

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष (अंतिम प्रथम)	निवल लाभ/हानि (करोड रुपए)	चुकता पूँजी (करोड रुपए)	निवल योग्यता (नेटवर्थ) (करोड रुपए)
1				
2				
3				
4				
5				

7. समाप्त तिमाही (गत छः तिमाहियों के लिए) की शोधक्षम स्थिति :

क्रम संख्या	समाप्त तिमाही (अंतिम प्रथम)	शोधक्षम स्थिति
1		
2		
3		
4		
5		
6		

8. प्रकटन अपेक्षाओं के साथ अनुपालन की पुष्टि :

मैसर्स एतद् द्वारा पृष्टि करते हैं कि इनमें समय-समय पर संशोधित और परिवर्तित, के आई आर डी के परिपत्र संख्या आई आर डी ए/एफ एंड आई/सी आई आर/एफ एंड ए/012/01/2010, दिनांक 28 जनवरी 2010 में यथा अधिदेशित अनुसार प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। (यदि कोई विचलन है, तो उसका ब्यौरा दें)।

9. निगमित (गवर्नेन्स) दिशा निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि:

मैसर्स एतद् द्वारा पुष्टि करते हैं कि आई आर डी ए के परिपत्र संख्या आई आर.डी.ए/एफ एंड ए/ सी आई आर/025/2009-10, दिनांक 5 अगस्त 2009, में जारी निगमित (गवर्नेन्स) दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है (यदि कोई विचलन है तो उसका ब्यौरा दें)।

10. गत पाँच वर्षों में आई आर डी ए द्वारा बीमाकर्ता के खिलाफ की गई विनियामक कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है :

11. गत पाँच वर्षों में, पॉलिसी धाराक संरक्षण के संबंध में कंपनी के रिकार्ड तथा पॉलिसी धारकों की बकाया शिकायतों का ब्यौरा इस प्रकार है :

शिकायतों का निपटान							
क्रम संख्या	विवरण	प्रारंभिक शेष	योग	पूर्णतः स्वीकृत	आंशिक रूप से स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित शिकायतें
1.	ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतें						
क)	बिक्री संबंधित						
ख)	नए कारोबार से संबंधित						
ग)	पॉलिसी सेवा से संबंधित						
घ)	दावों की सेवा में संबंधित						
ड)	अन्य						
	कुल संख्या						

2.	अवधि वार लंबित स्थिति	ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतें	मध्यस्थों द्वारा की गई शिकायतें	कुल
क)	15 दिन से कम			
ख)	15 दिन से अधिक			
	कुल संख्या			

*प्रारंभिक शेष, गत वित्तीय वर्ष के समापन शेष से मिलना चाहिए

12. स्वतंत्र बीमांकक विशेषज्ञ द्वारा आकलित, बीमा कंपनी का आधायित मूल्य है.

आधायित मूल्य रिपोर्ट द्वारा तैयार को गई है

आधायित मूल्य की समकक्षीय (पीयर) समीक्षा द्वारा की गई है

13. निर्गम (इश्यू) से पूर्व और पश्चात् के शेयरधारिता पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	वर्तमान शेयरधारिता पैटर्न				विक्रय/निर्गम की प्रस्तावित पेशकश		प्रस्तावित शेयर धारिता पैटर्न		
	नाम	दर्जा/स्थिति भारतीय/विदेशी	धारित शेयरों की संख्या	धारिता प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	दर्जा भारतीय/विदेश	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1									
2									
3									
4									
5									
	आई सी डी आर विनियमों के अंतर्गत निर्गम								

14. दिनांक को आयोजित बोर्ड की बैठक के अपेक्षित उद्घरण, जिनमें आवेदनकर्ता कंपनी द्वारा यथा प्रस्तावित पूंजी जारी करने/ विक्रय पेशकश को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इन उद्घरणों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रस्तावित संलग्न है ।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि फॉर्म 'ए' तथा उसके साथ संलग्नकों में दी गयी सूचनाएँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपूर्ण एवं सही हैं तथा इसमें कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं गया है ।

भवदीय

(मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर)

पदनाम

(बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

पदनाम

स्थान:

दिनांक:

आवेदनकर्ता जीवन बीमा कंपनी के लिए प्रकटन अपेक्षाएँ

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने भा प्र और वि बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 (आई सी डी आर विनियम) में पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाओं का ढोचा निर्धारित किया है आई सी डी आर विनियमों की अनुसूची 8 का भाग 'ए' ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस तथा प्रोस्पेक्टस में प्रकटन अपेक्षाएँ को निर्धारित करता है ।

यदि कोई आवेदक कंपनी इन विनियमों के अंतर्गत पूँजी निर्गम/विक्रय प्रस्ताव करता चाहती है, तो उसे अपने प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित प्रकटन करने होंगे । ये प्रकटन, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा आई सी डी आर विनियमों में निर्धारित विहितों के अतिरिक्त होंगे तथा इन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं की अवमानना के तौर पर नहीं माना जाना जायेगा ।

- क) बीमा कंपनियों के लिए विशिष्ट जोखिम कारक
- ख) बीमा उद्योग का विहंगावलोकन
- ग) वित्तीय विवरणों का प्रकटन
- घ) बीमा क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दावली
- ड) निर्गम का विवरण
- च) निर्गमकर्ता के बारे में विवरण
- छ) विधिक और अन्य जानकारी

प्रकटनों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

क) आवेदनकर्ता कंपनी के विशिष्ट जोखिम कारक

प्रस्ताव दस्तावेज बीमा क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिम कारकों को सूचीकृत करेगा और उन्हें मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में रखेगा :

- 1) बीमा जोखिम सर्वोत्तम अनुमानों के गलत आकलन अथवा दावों और अन्य नकद प्रवाहों की बारंबारता और आकार में यादृच्छिक उतार-चढ़ावों से उत्पन्न हुए जोखिम ।
- 2) बाजार जोखिम : बाह्य बाजार और आर्थिक कारकों के कारण परिसंपत्तियों, देयताओं और वित्तीय लिखतों के बाजार मूल्यों में अस्थिरता एवं विभिन्नता होने के कारण आया जोखिम ।
- 3) क्रेडिट जोखिम : प्रतिपक्ष अथवा बाध्यताधारी की चूक का जोखिम जिसमें पुनर्बीमा तथा वित्तीय व्युत्पन्नों जैसी जोखिम कम करने वाली संविदाओं के प्रति चूक का जोखिम भी शामिल है ।
- 4) नकदी का जोखिम : यह जोखिम कि अस्तियों की वसूली करने अथवा वायदे पूरे करने के लिए निधियाँ जुटाने में कारोबार को मुश्किल पेश आएगी ।
- 5) परिचलनात्मक जोखिम : अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं व्यक्तियों, और प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं से हानि का जोखिम ।

कम से कम सम्बद्ध जोखिम, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रदर्शित सूची में आ जायेंगे ।

ख) बीमा उद्योग का विहंगावलोकन

बीमा उद्योग के विहंगावलोकन में संक्षिप्त बीमा उद्योग की पृष्ठभूमि वैश्विक और घरेलू बीमा उद्योग एवं उद्योग संबंधी दृष्टिकोण, प्रवृत्तियों का विश्लेषण, क्षेत्र द्वारा निधियों का निवेश, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अंतवर्ती (मध्यस्थ), बीमा विधायन में परिवर्तन तथा लागू निगम नियंत्रण दिशानिर्देशों के संबंध में अनुपालन की स्थिति की जानकारी दी जायेगी और निम्नलिखित पहलुओं पर ब्यौरे दिए जायेंगे ।

1. प्रस्तावना
2. बीमा उद्योग की पृष्ठभूमि
 - 2.1 बीमा उद्योग का विहंगावलोकन
 - 2.2 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

नक - I

आई सी
18 का
निर्धारितवेज में
निर्धारित
में माना

छेक

में

रने

केल

का

में

ग

ए

3. वैश्विक बीमा पर्यावरण: वैश्विक और घरेलू परिदृश्य का संक्षिप्त ब्यौरा जिसमें बीमा की पैठ, धनत्व उद्योग का विकास आदि बताया जायेगा।
 - 3.1 वैश्विक बीमा पर्यावरण
 - 3.2 घरेलू बाजार विहंगावलोकन
 4. उद्योग दृष्टिकोण-जीवन बीमा-कुल अभिगोपित प्रीमियम
 - 4.1 बाजार में हिस्सा (...% हिस्सा)
 - 4.2 कारोबार में वृद्धि
 5. प्रवृत्तियों को विश्लेषण - जीवन बीमा
 - 5.1 बढ़ाई गई कवरेज
 - 5.2 नए उत्पादों की शुरुआत
 6. बीमा उद्योग द्वारा कोष का निवेश
 - 6.1 निवेश अनुक्रम
 7. बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.)
 8. मध्यस्थ
 - 8.1 कमीशन संरचना
 - 8.2 जीवन बीमा उद्योग
 9. बीमा कंपनियों के लिए 'नियमित नियंत्रण दिशानिर्देश'
 10. उपसंहार
- ग) वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण
- बीमा उद्योग के विशिष्ट प्रकटनों में मोटे तौर पर: निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे:
1. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति : समय समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूपों के अनुसार आई सी डी आर विनियमों में निर्धारित की गई अवधि की, वित्तीय स्टेटमेंट, प्रस्तुत किए जाएंगे।
 2. वित्तीय विवरणों से अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकटन किए जाएंगे :
 - i) सकल प्रीमियम - भौगोलिक खण्डीकरण
 - ii) प्रतिविक्रय
 - iii) वितरण तंत्र
 - iv) स्थैर्य
 - v) परिचालन व्यय अनुपात
 - vi) निवेश प्राप्ति
 - vii) इक्विटी तथा बांडों के जरिए प्रत्येक क्षेत्र में, कुल निधियों के 5% से अधिक निवेश
 - viii) पुनर्बीमा
 - ix) ब्याज दर संवेदनशीलता
 - x) भावी पॉलिसी लाभों तथा पॉलिसीधारकों की खाता शेष राशियों की देयता।
 - xi) अप्राप्त लाभ/हानि के आकलन की विधि
 - xii) शोधसयता व्यापन अनुपात
 - xiii) पॉलिसी धारकों की तर्क संगत अपेक्षाओं तथा संविदाओं के अंतर्गत, बीमा कंपनी की भावी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए गणितीय आरक्षित राशियों की पर्याप्तता की पुष्टि के लिए नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणन;

- xiv) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी बीमांकक व्यवहार मानदंड के अनुसार आधायित मूल्य ।
 xv) लेखांकन और अन्य अनुपात : प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित बीमा उद्योग के संबंध में विशिष्ट: निर्धारित किए गए अनुपातों का प्रकटीकरण किया जाएगा ।

3. विधिक तथा अन्य जानकारी : बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियमाक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित, विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन ।
 4. पॉलिसीधारकों की सुरक्षा के संबंध में कंपनी का रिकार्ड तथा गत पाँच वर्षों में लंबित, पॉलिसीधारकों की बकाया शिकायतें, जिसमें शिकायत निवारण तथा दावों की पुरातनता शामिल है परंतु यहीं तक सीमित नहीं है ।

घ) परिभाषाएँ और संक्षिप्त नाम

कम से कम प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले पारिभाषिक शब्दों की प्रदधित शब्दावली प्रस्ताव दस्तावेज में शामिल की जाएगी, जिसमें निर्गमकर्ता तथा उद्योग संबंधी पारिभाषिक शब्दों का विवरण दिया जाएगा ।

ङ) निर्गम का विवरण:

निर्गम के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित प्रकटन किए जाएँगे:

- अ) शोधक्षमता आवश्यकता को बढ़ाना;
 आ) सामान्य निगमित प्रयोजन, और/अथवा
 इ) कोई अन्य ऐसा प्रयोजन जिसके लिए प्राधिकरण ने विशिष्ट अनुमोदन प्रदान किया है ।

च) निर्गमकर्ता के बारे में विवरण:

बीमा कंपनी के बारे में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटन किए जायेंगे:

1) निगमित नियंत्रण :

इस आशय का प्रकटन कि बीमाकर्ता ने सूचीकरण करार में निहित अपेक्षाओं के अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित, निगमित नियंत्रण संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है ।

निर्गमकर्ता द्वारा बनाई सभी समितियों का विवरण तथा समिति सदस्यों के नाम और उनके विचारार्थ विषयों का सार जिसके अंतर्गत संबंधित समिति अपना परिचालन करती है ।

2. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

3) प्रवर्तक

छ) विधिक तथा अन्य जानकारी

अस्वीकरण खंड :

इस आशय की घोषणा, कि बीमा कंपनी की वित्तीय सृष्टृढ़ता अथवा इस संबंध में दिये गये बीमा कंपनी के गए किसी भी कथन/विवरण अथवा प्रकट की गई राय की परिवर्तता एवं सही होने के बारे में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) का कोई उत्तरदायित्व नहीं है ।

जे. हरि नारायण, अध्यक्ष
 [विज्ञापन III/4/161/11/असा.]

THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 14th November, 2011

IRDA (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011

F. No. IRDA/Reg./2/56/2011.—In exercise of powers conferred under section 14 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), read with sections 6AA and 114A of the Insurance Act, 1938, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement

- i. These Regulations shall be called the IRDA (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011
- ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- a. 'Act' means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- b. 'Applicant Company' means a Life Insurance Company coming within the definition of Indian Insurance Company.
- c. 'Authority' means Insurance Regulatory and Development Authority established under Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;
- d. 'Application' means application submitted to the Authority under the IRDA (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011
- e. 'Corporate Governance Guidelines' means the guidelines issued by the Authority vide its Circular no. IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009 as amended and modified from time to time.
- f. 'Date of commencement of business' means the date of grant of certificate of registration under IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000.
- g. 'Excess Shareholding' means shareholding over and above the limits of shareholding prescribed under Section 6AA of the Insurance Act.
- h. 'Insurance company' means the 'Indian Insurance Company' as defined in Section 2(7)A of the Insurance Act 1938;
- i. 'SEBI' means the Securities and Exchange Board of India
- j. 'ICDR Regulations' means the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended and modified from time to time.
- k. 'Key Managerial Personnel' shall include but not limited to the key persons as defined in IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000.
- l. 'Offer Document' means a document as defined under the ICDR Regulations.
- m. 'Promoter' of an applicant company means
'Any person or persons who holds equity shares in the insurance company at the time of grant of registration (R3) by Authority, and includes any person or persons who may have

acquired equity shares in the company with the prior approval of the Authority under the provisions of section 6A (including Regulations, Circulars and clarifications framed there under) of the Insurance Act, 1938.'

Provided that an existing or an ex-director or ex-officer of the issuer who has acquired a stake under any form of Employee Stock Option Scheme (ESOP) shall not be deemed as a promoter.

Provided further, that for the purpose of filing of the offer document with SEBI, the definition of 'promoter' under SEBI (ICDR) Regulations 2009 shall apply.

- n. 'Proposal' means the application filed by the applicant company with the Authority under Form 'A' attached to these Regulations for obtaining formal approval of the Authority.

All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts.

3. Prior Written Approval by the Authority:

No life insurance company shall approach the SEBI for public issue of shares and for any subsequent issue, by whatsoever name called, under the ICDR Regulations without the specific previous written approval of the Authority accorded in the manner prescribed herein.

4. Manner and Procedure:

These Regulations shall be applicable to divestment of the excess shareholding by the promoters of the applicant company as prescribed in Section 6 AA of the Act 1938 and/or to otherwise raise funds under the ICDR Regulations, *inter alia* through any of the following options:

- a. Issue of capital under ICDR Regulations; and
- b. Divestment of equity by one or more of the promoters through a public offer for sale under the ICDR Regulations.

The application for the approval of the Authority shall be filed in Form 'A' forming part of these Regulations.

Provided that no issuance and allotment of capital by an insurance company shall be in any form other than as fully paid up equity shares.

Further provided that any issue of capital other than as specified at (a) and (b) above, including any transfer of shares beyond the specified limits as laid down under section 6A(4)(b)(ii)/(iii) of the Insurance Act, 1938 shall require the specific prior approval of the Authority. Such approvals shall be governed by the stipulations laid down by the Authority.

5. Approval of the Authority:

- (i) An applicant company proposing to raise share capital through a public issue in terms of these regulations may do so only on completion of 10 years from the date of commencement of business by the applicant company or such other period as may be prescribed by the Central Government.
- (ii) The approval granted by the Authority shall have a validity period of one year from the date of issue of the approval letter, within which the applicant company shall file the Draft Red Herring Prospectus (DRHP) with SEBI under the ICDR Regulations.
- (iii) Any approval by the Authority in terms of the Regulations herein, shall not in any manner be deemed to or serve as a validation of the representations by the applicant company in any offer document, which fact shall be disclosed in bold letters in any offer document.
- (iv) The Authority reserves the right not to accord its approval if, in its opinion, (i) the applicant company is not compliant with the regulatory framework; or (ii) where it may be detrimental to the interests of policyholders; or (iii) it may not be in the interest of the insurance business in the country.

6. Criteria for consideration for approval:

The Authority shall generally consider the applicant company's overall financial position, its regulatory record, the proposal for issue/offer of capital; the capital structure post issue/offer of capital; and the purposes to which the share capital proposed to be raised will be applied. In particular, the Authority shall consider the following parameters amongst others:

- (i) the period for which the applicant has been in the life insurance business;
- (ii) the history of compliance with the regulatory requirements by the applicant company;
- (iii) the maintenance of the prescribed regulatory solvency margin as at the end of the preceding six quarters commencing from the quarter immediately prior to the date of filing the application;
- (iv) compliance with the disclosure requirements mandated under IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010 dated 28th January, 2010 as amended and modified from time to time;
- (v) compliance with the Corporate Governance Guidelines;
- (vi) its record of policyholder protection; and
- (vii) the Embedded Value of the applicant company. Such Embedded Value Report shall be prepared by an independent Actuarial Expert and peer reviewed by another independent Actuary and shall be prepared in the manner prescribed by the Actuarial Practice Standard issued by the Institute of Actuaries of India.

The Authority generally expects the Embedded Value to be two times the paid up equity capital (the paid up capital shall be inclusive of the share premium).

7. Conditions for approval

While according its approval, the Authority may prescribe:

- (i) the extent to which the promoters shall dilute their respective shareholding;
- (ii) the maximum subscription which could be allotted to any class of foreign investors;
- (iii) minimum lock-in period for the promoters from the date of allotment of shares. The lock-in period shall be without prejudice to the requirements which may be in place under the ICDR Regulations; and
- (iv) the disclosures in the Prospectus/Offer document, in addition to such disclosures as may be prescribed by SEBI, which may include the disclosures as indicated at Annexure-1 to these Regulations.

8. Timelines for approval by the Authority:

The Authority shall process and grant approval on the application as expeditiously as possible, and the applicant company shall ensure prompt response to the queries and requests for information from the Authority for processing the application.

FORM A

The Chairman
Insurance Regulatory and Development Authority
Parishram Bhavan
3rd Floor,
Basheer Bagh
Hyderabad – 500 004

Dear Sir,

Re.: Application for approval in terms of IRDA (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011

In terms of the **IRDA (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011**, M/s..... (Registration No. dated) which has completed years of operations, hereby applies to the Authority for issue of capital under the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations).

2. The details of the various eligibility parameters referred to under Regulation 6 of the Regulations are placed at Annexure along with the requisite enclosures as listed below:

- i)
- ii)
- iii)

The Report on Embedded Value calculation prepared by an independent actuarial expert and peer reviewed by another actuary in compliance with the prescriptions laid by the Actuarial Practice Standard issued by the Institute of Actuaries of India is annexed to the Application.

On receipt of the approval from the Authority, the (insurance company).....shall file an offer document with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the ICDR Regulations within a period of one year and shall ensure compliance with the requirements under the said Regulations.

Place:

Yours faithfully

Date:

(Signature of the Chief Executive Officer)
Designation

(Signature of the Chairman of the Board)
Designation

Annexe to the Application

1. Name of the applicant Company:
2. No. and Date of Registration:
3. Renewal certificate issued on:
4. Number of years from the date of commencement of business:
5. Status of Compliance with the expenses of management requirements under the Insurance Act, 1938 and the Rules framed thereunder for the last five years:

Sl. No.	Financial year (last first)	Allowable Expenditure (Rs. In crore)	Actual Expenditure (Rs. In crore)	Compliance status
1				
2				
3				
4				
5				

6. Details of the net profit, paid up capital and networth of the insurer for the last five years:

Sl. No.	Financial Year (last first)	Net Profit/Loss (Rs. in crore)	Paid up capital (Rs. in crore)	Net worth (Rs. in crore)
1				
2				
3				
4				
5				

7. Solvency Position for the quarter ended (for the last six quarters):

Sl. No.	Quarter ended (last first)	Solvency Position
1		
2		
3		
4		
5		
6		

8. Confirmation of Compliance with the Disclosure Requirements:

M/s hereby confirms that it is compliant with the disclosure requirements as mandated in the IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010 dated 28th January, 2010 as amended and modified from time to time.

(Details of deviations, if any, should be brought out).

9. Confirmation of Compliance with the Corporate Governance Guidelines:

M/s hereby confirms that it is compliant with the Corporate Governance Guidelines issued by IRDA vide Circular no. IRDA/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.
(Details of deviations, if any, should be brought out).

10. Details of regulatory action initiated by IRDA against the insurer for the last five years are as under:

11. Details of company's record of Policyholder Protection and the pendency of the policyholder complaints for the last five years:

GRIEVANCE DISPOSAL							
Sl. No.	Particulars	Opening Balance*	Additions	Fully Accepted	Partially Accepted	Rejected	Complaints Pending
1	Complaints made by customers						
a)	Sales Related						
b)	New Business Related						
c)	Policy Servicing Related						
d)	Claims Servicing Related						
e)	Others						
	Total Number						
2	Duration wise Pending Status	Complaints made by customers		Complaints made by Intermediaries		Total	
a)	Less than 15 days						
b)	Greater than 15 days						
	Total Number						

*Opening balance should tally with the closing balance of the previous financial year.

12. The Embedded value of the insurance company as arrived at by the independent actuarial expert is

The Embedded Value Report has been prepared by

The Embedded Value has been peer reviewed by

13. The details of the pre and post issue shareholding pattern are as under:

Sl. No.	Existing shareholding pattern				Proposed Offer for Sale/Issue		Proposed shareholding pattern		
	Name	Status (Indian/ Foreign)	No. of shares held	Per cent held	No. of shares	Per cent	Status (Indian/ Foreign)	No. of shares	Per cent
1.									
2.									
....									
....									
....									
....	Issue under ICDR Regulations								

14. The requisite extracts of the Board meeting held on duly certified by the Chief Executive Officer approving the issuance of capital/offer for sale as proposed by the applicant company are enclosed.

It is hereby confirmed that the information furnished in Form A along with attachments therewith is correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Place:

Yours faithfully

Date:

(Signature of the Chief Executive Officer)

Designation

(Signature of the Chairman of the Board)

Designation

Annexure 1

Disclosure Requirements for Applicant Life Insurance Company

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has laid down the framework for issue of capital and disclosure requirements in the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations). Part 'A' of Schedule VIII of the ICDR Regulations lays down the disclosure requirements in the Draft Red Herring Prospectus, Red Herring Prospectus, Shelf Prospectus and Prospectus.

An applicant company seeking to issue capital/ make an Offer for Sale under these Regulations shall make the following disclosures in the offer document. These disclosures shall be in addition to the prescriptions laid down by SEBI in the ICDR Regulations and shall not be seen in derogation of the requirements prescribed by SEBI:

- a. Risk factors specific to the insurance companies
- b. Overview of the insurance industry
- c. Disclosure of Financial Statements
- d. Glossary of terms used in the insurance sector
- e. Particulars of the Issue
- f. Particulars about the Issuer
- g. Legal and other Information.

The details of disclosures are as indicated below:

- a. **Risk factors specific to the applicant company**

The Offer Document shall list out the risk factors specific to the insurance sector, to be broadly segregated into the following categories:

1. **Insurance Risk:** Risk arising because of inaccurate estimation of the best estimate or because of random fluctuations in the frequency and size of the claims and other cash flows.
2. **Market Risk:** Risk arising out of variations in the level or volatility of the market prices of assets, liabilities and financial instruments due to external market and economic factors.
3. **Credit Risk:** Risk of default of a counterparty or obligor, including the risk of default to risk mitigating contracts like reinsurance and financial derivatives.

4. Liquidity Risk: The risk that the business will encounter difficulty in realizing assets or otherwise raising funds to meet commitments.
5. Operational Risk: The risk of loss, resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events.

At the minimum, the associated risks shall cover the illustrative list as prescribed by the Authority from time to time.

b. Overview of the insurance industry

The overview of the insurance industry shall briefly cover the background of the insurance industry, the global and domestic insurance environment, industry outlook, analysis of trends, Investment of funds by the sector, FDI in Insurance Sector, Intermediaries, changes in Insurance Legislation, and compliance status with the applicable Corporate Governance Guidelines furnishing particulars on the following aspects:

1. Introduction
2. Background about Insurance Industry
 - 2.1. Overview of the Insurance Industry
 - 2.2. Insurance Regulatory and Development Authority
3. Global Insurance Environment- A brief on global and domestic scenario covering Insurance Penetration, Density, growth of Industry, etc.
 - 3.1. Global Insurance Environment
 - 3.2. Domestic Market Overview
4. Industry Outlook - Life Insurance -Total Premium Underwritten
 - 4.1. Market Share (% share)
 - 4.2. Growth of Business
5. Analysis of Trends - Life Insurance
 - 5.1. Enlarged Coverage
 - 5.2. Introduction of New Products
6. Investment of Funds by the Insurance Industry
 - 6.1. Investment Pattern
7. FDI in Insurance Sector
8. Intermediaries
 - 8.1. Commission Structure
 - 8.2. Life Insurance Industry
9. Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies
10. Conclusion

c. Disclosure of Financial Statements

Disclosures specific to the insurance industry would broadly cover the following aspects:

1. Presentation of the financial statements: The presentation of financial statements shall be made for the period as specified in the ICDR Regulations as per the formats prescribed by the Authority from time to time.
2. Additional disclosures shall be made to the financial statements:
 - i. Gross premium- along with Geographic segmentation
 - ii. Cross selling
 - iii. Distribution network
 - iv. Persistency
 - v. Operating expense ratio
 - vi. Investment yield
 - vii. Investment of above 5% of total Funds in each sector through equity and bonds
 - viii. Reinsurance
 - ix. Interest rate sensitivity
 - x. Liability for future policy benefits and policyholders account balances.
 - xi. Manner of arriving at unrealized gain/losses
 - xii. Solvency Coverage ratio
 - xiii. Certification by the Appointed Actuary confirming the adequacy of Mathematical Reserves to meet the insurance company's future commitments under the contracts and the policyholders' reasonable expectations;
 - xiv. Embedded Value as per the Actuarial Practice Standard issued by the Institute of Actuaries of India.
 - xv. Accounting and other ratios: The ratios with specific reference to the insurance industry as prescribed by the Authority from time to time shall be disclosed.
3. Legal and Other Information: Compliance with the regulatory requirements laid down by the Authority under the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 and the regulations framed thereunder.
4. Details of company's record of Policyholder Protection and the pendency of the policyholder complaints for the last five years, including but not limited to grievance redressal and ageing of claims.

d. Definitions and Abbreviations:

At the minimum, the illustrative glossary of terms as prescribed by the Authority from time to time shall be included in the Offer Document giving details of the Issuer and industry related terms.

e. Particulars of the Issue:

The following disclosures shall be made about the objects of the Issue:

- a. to augment the solvency requirement;
- b. general corporate purposes; and/or
- c. any other purpose which has the specific approval of the Authority.

f. Particulars about the Issuer:

The following additional disclosures shall be made about the insurance company:

1. Corporate Governance:
 - Disclosure to the effect that the insurer has complied with the requirements of Corporate Governance as laid down by the Authority in addition to those contained in the Listing Agreement.

- Details of all Committees set up by the issuer, including the names of committee members and a summary of the terms of reference under which the respective committee operates.

2. Key Managerial Personnel
3. Promoters

g. **Legal and Other Information**

Disclaimer clause:

The declaration indicating that Insurance Regulatory and Development Authority ("IRDA") does not undertake any responsibility for the financial soundness of the insurance company or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.

J. HARI NARAYAN, Chairman
[ADVT III/4/161/11/Exty.]